आवश्यक

पंचायत आम चुनाव, 2021

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

पत्रांक - पं.नि. 30-25/2020 – 1192

प्रेषक,

योगेन्द्र राम

सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

पटना, दिनांक – 3.3.2021

विषय : पंचायत आम निर्वाचन, 2021 – मतदाता सूची की तैयारी के संबंध में।

प्रसंग : 1. आयोग का पत्रांक 1506 दिनांक 11.12.2020

2. आयोग का पत्रांक 238 दिनांक 30.01.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का कृपया सन्दर्भ किया जाय। वर्त्तमान में पंचायत मतदाता सूची अन्तिम प्रकाशन के बाद निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रखंड/जिलों से पृच्छा की जा रही है –

1. 01.01.2021 की अर्हता पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची जिसका अंतिम प्रकाशन दिनांक 15.02.2021 को हुआ है, में अनुपूरक सूची (परिवर्द्धन सूची) में सम्मिलित नये नामों को पंचायत मतदाता सूची में संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में जोड़ना।

2. यदि कोई व्यथित व्यक्ति से लिखित अभ्यावेदन प्राप्त होने पर इस राय का हो कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण है तो पंचायत से संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में किस प्रकार परिवर्त्तन (नाम जोड़ना और नाम में संशोधन) किया जाए।

3. अन्तिम प्रकाशित पंचायत मतदाता सूची में कुछ मतदाताओं के नाम प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र/पंचायत में यथा स्थान जहाँ वे मामूली तौर से निवास करते हैं अंकित नहीं है उसमें परिवर्त्तन किया जाए।

1(क) 01.01.2021 की अर्हता पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची के अनुपूरक सूची (परिवर्द्धन सूची) में जुड़े निर्वाचकों का नाम पंचायत मतदाता सूची में जोड़ने का प्रावधान –

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 126 मतदाता सूची की परिभाषा, तैयारी एवं प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक प्रावधान किए गये हैं। सुलभ संदर्भ हेतु उनके अवतरण नीचे उद्धृत हैं :-

> ``धारा 126 पंचायत के मतदाता – राज्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की उस समय लागू निर्वाचक सूची या सूचियों का उतना भाग, जो किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के संबंधित है, में जिन व्यक्तियों के नाम निर्वाचक के रूप में अंकित होंगे, वे सभी व्यक्ति संबंधित पंचायत निर्वाचन में मतदाता होंगे;

उक्त प्रावधान के आलोक में बिहार राज्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची जो 01.01.2020 की अर्हता पर तैयार की गयी थी, जिसपर बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 सम्पन्न कराये गये थे

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna - 800 001 Phone : 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax : 0612 - 2507847 E-mail : secbihar@gmailcom

3.3.21

वैधानिक रूप से प्रवृत्त थी। उक्त निर्वाचक सूची को आधार पर आयोग के पत्रांक 1506 दिनांक 11.12.2020 और पत्रांक 238 दिनांक 30.01.2021 द्वारा पंचायत मतदाता सूची 2021 के निर्माण हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये थे। दिनांक 01.01.2021 की अर्हता रखने वाले व्यक्तियों से दावा आपत्ति (प्रपत्र घ, ग और ख) में प्राप्त किया गया और इसके निष्पादन के पश्चात पंचायत मतदाता सूची, 2021 का अन्तिम प्रकाशन दिनांक 19.02.2021 को किया गया।

इसी बीच भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान सभा के निर्वाचन सूची को 01.01.2021 के अर्हता पर पुनरीक्षण किया गया, जिसका अन्तिम प्रकाशन दिनांक 15.02.2021 को किया जा चुका है। इसमें 16,85,046 नये निर्वाचकों का नाम विधान सभा क्षेत्र की निर्वाचक सूची में जुड़े हैं, जिसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र के निर्वाचक सम्मिलित हैं।

इस तरह बिहार विधान सभा निर्वाचन सूची 2021 के ग्रामीण क्षेत्रों में जुड़े नये निर्वाचकों का नाम यथास्थान पंचायत मतदाता सूची में बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 126 के आलोक में नाम रहने का अधिकार प्राप्त हो गया है।

माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल LPA No. 315/2006 में बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 126 की व्याख्या की गई है, जो निम्नलिखित है –

" By this provision, the electors in the existing electoral roll of the state legislative assembly constituency whose names find place in such electoral roll ipso facto become electors of the concerned teritorial constituency of panchayat in the panchayat elections. The State Election Commission is, however, empowered to include the name of a person whose name does not find place in the existing electoral roll of state legislative assembly constituency either suo motu or on a receipt of the representation by an affected person. Pertinently, no such variation or correction in the electoral roll could be made by the State Election Commission once the notification of the date of panchayat elections in issued by the Governor under section 124 the Panchayat Raj Ordinance, 2006."

अतः यह आवश्यक हो गया है कि 01.01.2021 की अर्हता के आधार पर निर्मित विधान सभा के निर्वाचक सूची में जुड़े निर्वाचकों का नाम पंचायत मतदाता सूची में सम्मिलित किया जाय। उक्त के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा126 में अंकित है कि **``परन्तु यह कि राज्य निर्वाचन आयोग स्वप्रेरणा से अथवा किसी व्यक्ति से लिखित अभ्यावेदन प्राप्त होने पर इस राय का हो कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण है, तो पंचायत से संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में ऐसा परिवर्तन करने का निदेश दे सकेगा जैसा कि वह उचित समझे;"** के अन्तर्गत कार्रवाई किया जाना है।

उक्त कार्य हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 126 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग के लिए सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को शक्ति प्रदत्त करता है। उक्त कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में किया जायेगा, जिसका सतत् अनुश्रवण आयोग स्तर से होगा।

1(ख) 01.01.2021 की अर्हता पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची के अनुपूरक सूची (परिवर्द्धन सूची) में जुड़े निर्वाचकों का नाम पंचायत मतदाता सूची में जोड़ने की प्रक्रिया –

(1) जिला निर्वाचन कार्यालय से 01.01.2021 की अर्हता पर तैयार विधान सभा की निर्वाचक सूची जिसका दिनांक 15.02.2021 को अन्तिम प्रकाशन हुआ है की हार्ड प्रति सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को अविलम्ब उपलब्ध करा दिया जाए।

(2) उक्त सूची की सॉफ्ट प्रति मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार से प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

(3) उक्त सूची में निम्नलिखित दो भाग होंगे –

(क) मूल निर्वाचक सूची (प्रारूप सूची)

(ख) परिवर्द्धन सूची (मूल सूची में के साथ जुड़ा नये नामों की सूची जो प्रारूप प्रकाशन की अवधि में प्राप्त दावा-आपत्ति के आधार पर तैयार किया गया है।)

उदाहरणस्वरूप 6-नौतन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के भाग संख्या -1 की निर्वाचक सूची का आंशिक छायाप्रति संलग्न है। इसके मूल निर्वाचक सूची में निर्वाचकों का क्रमांक 1 से 657 तक है। परिवर्द्धन सूची में निर्वाचकों का क्रमांक 658 से 673 तक है। वर्तमान में केवल परिवर्द्धन सूची के निर्वाचकों को ही पंचायत मतदाता सूची में सम्मिलित किया जाना है।

(4) अर्हता तिथि 01.01.2021 के आधार पर प्रकाशित अन्तिम निर्वाचक सूची में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मिलाकर कुल 16,85,046 निर्वाचकों के नाम जोड़े गये हैं। इसमें से लगभग 25000 मतदाता शहरी क्षेत्र के होंगे। शेष 14,35,046 निर्वाचक ग्रामीण क्षेत्र के होंगे। उदाहरणस्वरूप इस बिन्दु को स्पष्ट करने हेतु कहा जा सकता है कि 14,35,046 मतदाताओं को वर्तमान में पंचायत मतदाता सूची के 114476 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं का हस्तानान्तरण किया जाना है। अर्थात् औसतन प्रति प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 13 मतदाताओं के नाम जोड़े जाने हैं।

(5) अतः स्पष्ट हो लें कि वर्त्तमान में केवल प्रारूप सूची के साथ जुड़ा परिवर्द्धन सूची (नये नामों की सूची) में अंकित निर्वाचकों का ही पंचायत निर्वाचक सूची में हस्तान्तरण किया जायेगा।

(6) यह भी ध्यान देना है कि 01.01.2020 की अर्हता वाली विधान सभा के निर्वाचक सूची जिससे पंचायत मतदाता सूची तैयार की गयी है, विधान सभा के उक्त सूची और 01.01.2021 की अर्हता पर तैयार विधान सभा के निर्वाचक सूची में मतदान केन्द्र संख्या परिवर्त्तन हुए हैं। ऐसा इसलिए हुआ है कि पूर्व में जो सहायक मतदान केन्द्र बनाए गए थे मतदान केन्द्रों का `रेशनलाइजेशन` के कारण मूल मतदान केन्द्र में परिवर्त्तित हो गए फलस्वरूप विधान सभा में मतदान केन्द्रों की संख्या में परिवर्तन हुआ है।

(7) परन्तु नये परिवर्त्तित मतदान केन्द्र भी पंचायतवार व्यवस्थित है। अतः सर्वप्रथम विधान सभा के निर्वाचक सूची में केवल परिवद्धित निर्वाचकों (नये निर्वाचकों) के आधार पर मतदान केन्द्रों का पंचायतवार विवरणी निम्नलिखित प्रपत्र में बनाएँ :-

केवल परिवर्द्धित (नये निर्वाचक) के आधार पर मतदान केन्द्रों की पंचायतवार विवरणी

जिला – प्रखंड –

क्रमांक	केवल परिवर्द्धित निर्वाचकों (नये निर्वाचक) वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की नये मतदान केन्द्रों की संख्या	विधान सभा क्षेत्र संख्या	पंचायत का नाम

(8) उक्त सूची के निर्माण के बाद ही नये मतदाताओं के मामूली तौर निवास स्थान पर प्रा.नि.क्षे. चिह्नित करें।

(9) प्रा.नि.क्षेत्रवार प्रपत्र-क बनायें।

(10)`प्रपत्र-क` की पुनः जाँच कर आश्वस्त हो कि प्रपत्र-क में भरे आँकड़े सही हैं।

(11) प्रपत्र-क का सॉफ्टवेयर की सहायता से विखण्डीकरण करना। सॉफ्टवेयर से स्वतः उत्पन्न प्रपत्र-क का मूल प्रपत्र का मिलान करना।

(12) निर्वाचकों का नाम अनुपूरक सूची में परिलक्षित होगा।

2(क) व्यथित व्यक्तियों के लिखित अभ्यावेदन प्राप्त होने पर की जाने वाली कार्रवाई का प्रावधान –

चूँकि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा126 में अंकित है कि ``**परन्तु यह कि राज्य निर्वाचन आयोग स्वप्रेरणा से अथवा किसी व्यक्ति से लिखित अभ्यावेदन प्राप्त होने पर इस राय का हो कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण है, तो पंचायत से संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलीा में ऐसा परिवर्तन करने का निदेश दे सकेगा जैसा कि वह उचित समझे;**"

उक्त कार्य हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 126 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग के लिए सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को शक्ति प्रदत्त करता है। यह कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में किया जायेगा, जिसका सतत् अनुश्रवण आयोग स्तर से होगा।

2(ख) व्यथित व्यक्तियों के लिखित अभ्यावेदन प्राप्त होने पर की जाने वाली कार्रवाई की प्रक्रिया –

व्यथित व्यक्तियों के लिखित आवेदन पर भी कार्रवाई किया जाना अनिवार्य है। जिसके लिए निम्नलिखित कार्रवाई की जाय।

(1) किसी व्यथित व्यक्ति का लिखित अभ्यावेदन *(संलग्न विहित प्रपत्र यथा – व्यथित व्यक्तियों द्वारा मतदाता सूची में नाम प्रविष्ट करने हेतु आवेदन/व्यथित व्यक्तियों द्वारा किसी प्रविष्टि से संबंधित विशिष्टियों के संशोधन हेतु आवेदन)* प्राप्त होने पर जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) अभ्यावेदन में अंकित पर्याप्त कारण से जाँचोपरान्त संतुष्ट है तो उनके आदेश का रेकॉर्ड संधारित करते हुए ही मतदाता सूची में परिवर्त्तन यथा नाम सम्मिलित करने, नाम में संशोधन करने का आदेश देंगे।

(2) उक्त विहित प्रपत्र में प्राप्त अभ्यावेदन को `डिजीटाइज` कर मूल आवेदन पत्र को भी अपलोड करना है।

(3) उक्त आदेश के बाद निर्वाचक संबंधित विवरणी सॉफ्टवेयर की सहायता से अंकित करायेंगे।

(4) निर्वाचकों का नाम अनुपूरक सूची में परिलक्षित होगा।

3(क) अंतिम प्रकाशित पंचायत निर्वाचक सूची में मतदाताओं के नामों का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र/पंचायत में स्थानान्तरण का प्रवधान –

यह भी पाया गया है कि आयोग के पत्रांक 238 दिनांक 30.01.2021 द्वारा इस संबंध में निदेश दिये जाने के बावजूद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार मतदाताओं के नाम यथास्थान नहीं रखे गए हैं। जो आयोग के लिए चिन्ता का विषय है। जिस प्रखंड में उक्त मामले प्रकाश में आते हैं तो सर्वप्रथम उन कारणों के साथ पदाधिकारी/ कर्मचारी को चिह्नित किया जाए कि आयोग के उक्त निर्देश के बावजूद स्थानीय तौर पर पदाधिकारियों/ प्रेक्षक/ कर्मचारियों की उदासीनता या कार्य में लापरवाही बरतने के फलस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। इस संबंध में विस्तृत जाँचोपरान्त लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों/ प्रेक्षकों/ कर्मचारियों के विरूद्ध स्पष्टीकरण प्राप्त कर अनुशासनीक कार्रवाई हेतु अपने मन्तव्य के साथ आयोग को प्रतिवेदन भेजा जाय।

चूँकि आयोग का मंशा है कि पंचायत मतदाता सूची शुद्ध और अद्यतन होने के साथ-साथ मतदाताओं का नाम उनके मामूली तौर से निवास स्थान वाले प्रा.नि.क्षे. में सम्मिलित हो। बिहज्पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 126 के परन्तु में दिये गये प्रावधान के आलोक में स्वप्रेरणा (Suo-moto) से कार्रवाई की जानी है।

उक्त कार्य के लिए भी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 126 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग के लिए सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को शक्ति प्रदत्त करता है। यह कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में किया जायेगा, जिसका सतत् अनुश्रवण आयोग स्तर से होगा।

3(ख) अंतिम प्रकाशित पंचायत निर्वाचक सूची में मतदाताओं के नामों का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र/पंचायत में स्थानान्तरण की प्रक्रिया –

(1) वर्तमान में यदि उक्त मामले हैं तो प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार सूची तैयार करेंगे। उक्त सूची जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

(2) अनुमोदित सूची का सॉफ्टवेयर की सहायता से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र/पंचायत में यथास्थान मतदाताओं का एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विलोपन और दूसरे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में परिवर्द्धन होगा। इस प्रकार किसी निर्वाचक का नाम स्थानान्तरित करने की स्थिति में यह सुनिश्चित किया जाय कि उनका नाम एक प्रादेशिक निर्वाचन से विलोपित हो और यथास्थान प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में जुड़ जाये।

(3) निर्वाचकों का नाम अनुपूरक सूची में परिलक्षित होगा।

उक्त तीनों मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) के स्तर पर अभिलेख तैयार करेंगे एवं अभिलेख को सुरक्षित रूप से रखेंगे।

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) पंचायत मतदाता सूची 2021 के मामले में यदि किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित होती है तो उक्त निदेश के आलोक में कार्रवाई करते हुए पंचायत निर्वाचक सूची को शुद्ध और अद्यतन करेंगे ताकि निर्वाचन के समय किसी विषम परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़े।

अनुरोध है कि तत्संबंधी निदेश से सभी संबंधित को अवगत कराते हुए ससमय कार्रवाई करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,

सचिव

ज्ञापांक - पं.नि.30-25/2020 –1192 पटना, दिनांक – 3.3.2021

प्रतिलिपि, सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि कृपया अपने स्तर से नियमित समीक्षा की जाय।

सचिव।

ज्ञापांक - पं.नि.30-25/2020 –1192 पटना, दिनांक – 3.3.2021

प्रतिलिपि, अपर मुख्य सचिव, पंचायत राज विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक - पं.नि.30-25/2020 – 1192 पटना, दिनांक – 3.3.2021

प्रतिलिपि श्री राजेश कुमार, आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।

सचिव। 03/03/2021

3.3.21

पंचायत निर्वाचन, 2021

व्यथित व्यक्तियों द्वारा मतदाता सूची में नाम प्रविष्ट करने हेतु आवेदन

आवेदक अपना फोटो यहाँ चिपकायेंगे।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
.....

प्रखंड ..... के ग्राम पंचायत ..... के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या ..... की मतदाता सूची में नाम दर्ज करने हेतु आवेदन

प्रा.नि.क्षे.संख्या .....

श्री/ श्रीमती/ सुश्री#..... लिंग (पुरुष/ स्त्री/ तृतीय लिंग) ..... जन्म तिथि/ आयु ..... पिता/ पति..... जो ग्राम ..... ग्राम पंचायत ..... के प्रा.नि.क्षे.संख्या ..... डाक घर ..... थाना ..... जिला ..... के निवासी हैं, का मतदाता सूची में नाम दर्ज करने हेतु आवेदन।

आवेदनकर्त्ता भारत का नागरिक है तथा दिनांक 1 जनवरी 2021 को उसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है तथा उपरोक्त वार्ड में सामान्यतया $..... में 180 दिनों से अन्यून दिनों से निवास करता है। दावाकर्त्ता द्वारा किसी अन्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में नाम दर्ज करने के लिए किसी अन्य पते पर दावा नहीं किया गया है।

उपरोक्त कथन (जन्म तिथि/ आयु और मामूली तौर से निवास स्थान) के प्रमाण में दावाकर्त्ता द्वारा निम्नांकित कागजातों की मूल/ सत्यापित प्रतियाँ इस दावे के साथ समर्पित की जाती है :-

(i)

(ii)

(iii)

मैं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची और पंचायत मतदाता सूची, 2021 में ससमय नाम सम्मिलित करने हेतु आवेदन नहीं दे सका, जिसका पर्याप्त कारण निम्नलिखत है –

1.

2.

3.

घोषणा

उपरोक्त विवरण सभी तरह से सही और सत्य है।

दिनांक : आवेदनकर्त्ता का हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान

पूरा नाम अंकित करें।

$ पूर्ण पता अंकित करें।

पंचायत निर्वाचन, 2021

व्यथित व्यक्तियों द्वारा किसी प्रविष्टि से संबंधित विशिष्टियों के संशोधन हेतु आवेदन

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
.....

महोदय,

मैं निवेदन करता/ करती हूँ कि मुझसे सम्बद्ध प्रविष्टि जो..... ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या ..... प्रारूप प्रकाशित मतदाता सूची .....में क्रम संख्यांक .....पर ``.....'' के रूप में दी हुई है, शुद्ध नहीं है। उसे शुद्ध कर दिया जाय जिससे वह निम्नलिखित रूप में पढ़ी जाय .....

``.....

.....

मैं पंचायत मतदाता सूची, 2021 में ससमय नाम (प्रविष्टि) शुद्ध करने के लिए नहीं दे सका, जिसका पर्याप्त कारण निम्नलिखित है –

1.

2.

3.

.....
निर्वाचक के हस्ताक्षर या अँगूठे का निशान

स्थान .....

तारीख .....